


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032024-253229
CG-DL-E-19032024-253229

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1415]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 19, 2024/फाल्गुन 29, 1945

No. 1415]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 19, 2024/PHALGUNA 29, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2024

(आयकर)

का.आ.1484(अ).—जबकि, आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिये भारत गणराज्य सरकार और स्पेन राजशाही के बीच करार, उक्त करार को लागू करने के लिए अपने कानूनों के तहत आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बारे में दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा एक-दूसरे को अधिसूचना लागू करने के बाद दिनांक 12 जनवरी, 1995 को लागू हुआ;

और जबकि, केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया था कि वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) संख्या सा.का.नि. 356 (अ), दिनांक 21 अप्रैल, 1995 की भारत सरकार की अधिसूचना में संलग्न उक्त करार के सभी प्रावधानों को, भारत संघ में लागू किया जाएगा;

और जबकि, उपरोक्त करार के दिनांक 8 फरवरी, 1993 के नयाचार के पैराग्राफ 7 में प्रावधान है कि यदि भारत और किसी ऐसे तीसरे राज्य के बीच किसी करार या समझौते के तहत, जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य है, जो 1 जनवरी, 1990 के बाद लागू होता है, भारत उसकी रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क पर स्रोत पर कराधान को आय की उक्त वस्तुओं पर इस करार में प्रदान की गई दर से कम दर तक सीमित करता है, तो आय की उक्त वस्तुओं पर उस समझौते या करार में प्रदान की गई वही दर इस करार के अंतर्गत भी लागू होगी;

और जबकि, भारत और जर्मनी के बीच करार में, जो 26 अक्टूबर, 1996 को लागू हुआ, और भारत के साथ करार में प्रवेश के समय जर्मनी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य था, भारत सरकार ने रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क पर स्रोत पर कराधान को आय की उक्त वस्तुओं पर भारत और स्पेन के बीच करार में प्रदान की गई दर से कम दर तक सीमित कर दिया है;

अतः, अब, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 356 (अ), दिनांक 21 अप्रैल, 1995 द्वारा अधिसूचित करार में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, जो भारत और स्पेन के बीच उक्त करार को लागू करने के लिए आवश्यक हैं, अर्थात्:---

उक्त अधिसूचना में, भारत गणराज्य और स्पेन राजशाही के बीच संलग्न करार में, रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क से संबंधित अनुच्छेद 13 में, पैराग्राफ 2 के लिए, निम्नलिखित पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

“2. हालाँकि, ऐसी रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क उस संविदाकारी राज्य जिसमें वे उद्भूत होते हैं में और उस राज्य के कानून के अनुसार भी कर लगाया जा सकता है, लेकिन यदि प्राप्तिकर्ता रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क का लाभकारी स्वामी है, तो लगाया जाने वाला कर रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क की कुल राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।”

2. इस अधिसूचना द्वारा संशोधित उक्त करार के अनुच्छेद 13 का पैराग्राफ 2, निर्धारण वर्ष 2024-25 से लागू होगा।

[अधिसूचना सं. 33/2024 फा.सं. 503/2/1986-एफटीडी-I]

सुखद चतुर्वेदी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2024.

(Income- Tax)

S.O. 1484(E).—Whereas, the Convention between the Government of the Republic of India and the Kingdom of Spain for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital came into force on the 12th January, 1995, after the notification by both the Contracting States to each other of the completion of the procedures required under their laws for bringing into force the said Convention;

And whereas, the Central Government in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), had directed that all the provisions of the said Convention annexed to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number G.S.R. 356 (E), dated the 21st April, 1995, shall be given effect to in the Union of India;

And whereas, paragraph 7 of the Protocol dated the 8th February, 1993, to the aforesaid Convention provides that if under any Convention or Agreement between India and a third State which is a Member of the Organisation for Economic Cooperation and Development, which enters into force after the 1st January, 1990, India limits its taxation at source on royalties or fees for technical services to a rate lower than the rate provided for in this Convention on the said items of income, the same rate as provided for in that Convention or Agreement on the said items of income shall also apply under this Convention;

And whereas, in the Convention between India and Germany, which entered into force on the 26th October, 1996, and Germany was a member of the Organisation for Economic Co-operation and Development at the time of entering into the Convention with India, the Government of India has limited the taxation at source on royalties and fees for technical services to a rate lower than that provided in the Convention between India and Spain on the said items of income;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that the following modification shall be made in the Convention notified vide said notification number G.S.R. 356 (E), dated the 21st April, 1995, which are necessary for implementing the said Convention between India and Spain, namely:---

In the said notification, in the Convention annexed therewith between the Republic of India and Kingdom of Spain, in Article 13 relating to Royalties and Fees for Technical Services, for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely:---

“2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed ten per cent of the gross amount of royalties or fees for technical services.”.

2. The paragraph 2 of Article 13 of the said Convention, as amended by this notification, shall be applicable with effect from the assessment year 2024-25.

[Notification No. 33/2024 F.No. 503/2/1986-FTD-I]

SUKHAD CHATURVEDI, Under Secy.